नासिरा शर्मा की कहानियों में मुस्लिम नारी की स्थिति का चित्रण

***डॉ. शैलजा भट्ट**

शोध–पत्र सार

आधुनिक महिला कहानीकारो में नासिरा शर्मा ही ऐसी कहानीकार है, जिन्होनें मुस्लिम परिवेश को अपने साहित्य में स्थान दिया है। नासिराजी ने अपने लेखन में मुस्लिम नारी को स्थान दिया है।

नासिरा शर्मा ने अपने साहित्य में अधिकांशतया मुस्लिम परिवेश की सामाजिक व्यवस्था में आये परिवर्तनो में नारी के व्यक्तित्व के विकास कें कतिपय आधार तो बदले है किन्तु पारिवारिक दृष्टि से नारी आज भी परिवार का केन्द्र बिन्दु है, और पुरूष परिवार का अधिकारी।

एक मुस्लिम परिवेश की नारी को जन्म से लेकर निकाह तक तथा उसके बाद किन–किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, इसका चित्रण इन्होनें अपनी कहानियों में किया है।

इन्होनें कहा है कि ''अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, विद्रोह न करे तो कम से कम गलत बात का विरोध करना जरूरी है।''

शोध–पत्र

वर्तमान परिवेश में साहित्य का क्षितिज अत्यन्त विस्तृत हो गया है, पाश्चात्य साहित्य से भारतीय साहित्य प्रवृत्तियाँ भी प्रभावित हुई,तथा इनमें कुछ परिवर्तन होने लगे।

आज जीवन की छोटी से छोटी नितान्त व्यक्तिगत घटनाएँ भी साहित्य का रूप ले चुकी हैं। वर्तमान हिन्दी कहानी भी इस प्रभाव से अछूती नहीं रही है। नासिरा शर्मा एक ऐसी कहानीकार हैं, जिन्होनें अपनी कहानियों में समाज को खासतौर से मुस्लिम समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया है।

स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद तथा घर से बाहर निकलकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में भाग लेने के बाद भी नारी परम्परागत संस्कारों से पूर्णतया अलग नहीं हो पायी हैं।

नासिरा शर्मा ने अपने साहित्य में अधिकांशतया मुस्लिम परिवेश की सामाजिक व्यवस्था में आये परिवर्तनों में नारी के व्यक्तित्व के विकास में कतिपय आधार तो बदले हैं, किन्तु पारिवारिक दृष्टि से नारी आज भी परिवार का केन्द्र बिन्दु है, और पुरूष परिवार का अधिकारी।

इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह जिस देश में फैला उसने वहाँ के रीति–रिवाजों में अपने को ढाल लिया, इसलिए अरब, चीन, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की मुस्लिम औरतों से भारतीय मुसलमान औरत न केवल पहनावे में और रहन–सहन में बल्कि सोच–विचार में भी अलग है।

इस्लाम में तलाकशुदा, विधवा औरत का दूसरा विवाह लगभग जरूरी है, परन्तु भारतीय मुसलमान स्त्री इस छूट के बावजूद दूसरा विवाह करने में आज भी झिझकती हैं।

बँटवारे के बाद अधिकतर पढ़ा–लिखा वर्ग पाकिस्तान चला गया, जो बचे उनमें से बहुत कम उच्च शिक्षित लोग थे, बाकी कारखनदार, दस्तकार तथा कलाकार थे।

इतने बड़े पैमाने पर फसाद और बंटवारे की त्रासदी से निकला मुसलमान समाज स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगा, जिससे उसका ध्यान विशेष रूप से अपनी औरतों की और चला गया। इस सुरक्षा का अतिरिक्त भाव आगे चलकर औरतों के लिए हानिकारण साबित हुआ।

कड़ा पर्दा, धार्मिक रूढ़ियाँ अपनी पहचान का संकट कई तरह की गैर जरूरी बातें यहाँ उसकी दिनचर्या में शामिल हो गई, वहीं पर अनजाना भय उसके दिमाग में फन काढकर बैठ गया। इस मानसिकता का फायदा उठाया सियासी नेताओं और जाहिल मौलवियों ने जिनकों वोट और रोजी की आवश्यकता थी। इन्होनें अपनी इच्छाओं के चलते मुसलमान समाज को अनपढ़ पिछड़ा और भयभीत बनाये रखा। जरा सी बात पर इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया। इससे उनके संघर्ष करने की शक्ति क्षीण होने लगी और वे अनेक तरह की कुंठाओं में जीने लगे जिसका प्रभाव उनकी औरतों पर गहराई से पड़ा।

मुसलमान औरतें चारों तरफ से घिर गई, एक तो वह अपने धर्म के बारे में जानती नहीं थी क्यों कि वह अरबी भाषा में था ओर दूसरा जो उर्दू में था तो वह इतनी शिक्षित नहीं थी कि उर्दू पढ़ सके, सो वह पूरी तरह पति पर व मौलवी पर निर्भर हो गयी।

मुम्बई की एक शोध संस्था ने जो शोध किया है, उसमें यही बताया है कि बड़े से बड़े और पढ़े–लिखे खानदानों में भी कानून और इस्लाम के नियम का पालम होता है।

उच्चवर्गीय मुस्लिम औरतों की स्थिति ठीक है, परन्तु जैसे–जैसे निम्न स्तर की और हम देखें तो औरत की हालत बद से बदतर दिखाई देती है। क्यों के उस वर्ग के मर्दों का न तो कोई अपना व्यक्तित्व है, और न सोच। वह अपनी सारी कुंठा, क्रोध, अपमान औरत पर डालता है। घर ही उसका रणक्षेत्र है, बाहर की दुनिया में उसकी स्थिति शून्य है।

शोध द्वारा यह साबित हुआ है कि मुसलमान वर्ग हरिजनों से भी कम शिक्षित है, उसका एक कारण और भी है कि वे लोग अधिकतर दस्तकार होते हैं और उनकी शिक्षा, वह हुनर है, जो अपने माँ–बाप से बचपन में ही सीखना शुरू कर देते हैं, जो आगे चलकर उसे रोजी–रोटी का सहारा देती है।

इससे यह साबित होता है कि ऐसी स्थिति में औरत एक मजदूर व बच्चा पैदा करने की मशीन भर रह जाती है। मुसलमान स्त्री पहले भारतीय है, फिर मुसलमान। (नासिरा शर्मा ने कहानी संग्रह 'खुदा की वापसी' में मुस्लिम महिलाओ की स्थिति को दर्शाया है)। इस्लाम ने औरतों को कई तरह के अधिकार दे रखे हैं, किन्तु मुस्लिम महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है।

नासिरा शर्मा ने गाँवों की मुस्लिम महिलाओं की और ज्यादा ध्यान दिया है। उन्होनें गाँवों की अशिक्षित और अधिकार विहीन महिलओं की स्थिति के बारे में लिखा है कि भारत में औरत मर्द दोनों मिलकर फसल का कार्य करते हैं। उस औरत का विकास क्या होगा, जब उस किसान मर्द का ही विकास नहीं हो पा रहा है, वह नए उपकरणों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, जो कि उपलब्ध तो है, मगर उसके लिए नहीं बल्कि मालिकें के खेतों के लिए।

वैसे तो नासिराजी ने अपनी समस्त कहानियाँ ईरानी सभ्यता व संस्कृति से संबंधित लिखी हैं, परन्तु फिर भी उनकी अधिकतर कहानियों में मुस्लिम नारी को एक विशेष स्थान दिया है।

मुस्लिम समाज में मेहर एक ऐसी धनराशि है, जिसकों पत्नी विवाह के प्रतिफल के रूप में पति से प्राप्त करने के लिए अधिकारिणी होती है। नासिरा शर्मा ने अपने कहानी संग्रह 'खुदा की वापसी' की प्रथम कहानी 'खुदा की वापसी में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है।

'खुदा की वापसी' को दो अर्थों में लिया जा सकता है, एक तो यह कि यह सोच अब जा चुकी है कि पति एक दुनियानी खुदा है ओर उसके आगे नतममस्तक होना पत्नी का परम धर्म है, और दूसरा है, उस खुदा की वापसी, जिसने सभी इन्सानों को बराबर माना है और औरत मर्द को समान अधिकार दिये हैं।

खुदा की वापसी की कहानियों में ऐसे सवालों पर भी दृष्टि डाली गई है– जो हमें उपलब्ध हैं, उसे भूलकर हम उन मुद्दों पर क्यों लड़ते हैं, जिन्हे धर्म, कानून, समाज परिवार ने हमें नहीं दिया है। जो अधिकार हमें मिले हैं, जब हम उसी को अपनी जिन्दगी में शामिल नहीं कर पाते और उसके बारे में लापरवाह रहते हैं, तब किस अधिकार और स्वतंत्रता की अपेक्षा हम खुद से कर सकते हैं।

खुदा की वापसी कहानी में यह बताने का प्रयास किया है कि लड़की को उन सभी बातों की तालीम देनी चाहिए जिस पर उसकी जिन्दगी के महत्त्वपूर्ण मुद्दे टिके हुए हैं। औरत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है तो फिर अपने लिए बनाये शरियत कानून का पूरा ज्ञान और देश देश के अन्य धर्म कानूनो की भी जानना जरूरी है, तभी वह अपनी लड़ाई लड़ सकती है।

यह कहानी एक लड़की के संघर्ष की कहानी है, इसमें नायिका फरजाना एक तालीमदार परिवार की लड़की है तथा जब उसका विवाह जुबैर से होता है तो वह शादी के दिन ही बातों–बातों में उससे 'मेहर' की राशि माफ करवा लेता है, जिससे फरजाना के दिमांग पर एक डर सा छा जाता है, जब वइ अपने पति से इस विषय पर बात करती है तो उसका पति कहता है कि उसने तो मजाक किया था तथा वैसे भी औरत को अपने शोहर व मौलवी की बात को सच मानना चाहिए तभी वह सुखी रह सकती है।

अपने पति के इन शब्दों को सुनकर वह अपने मायके वापस लौट आती है तथा यह कहकर आती है कि जब तक

AIJRA Vol.I Issue I www. ijcms2015.co ISSN 2455-5967

उसके पति को उसकी गलती का अहसास नहीं होगा वह वापस नहीं आयेगी।

पूरी दुनिया में अनेक औरतों ने अपनी–अपनी लड़ाई अलग–अल्ग तरीके से लड़ी है इस कहानी में यह देखने में आया है कि शरीयत के नाम पर जुल्म ढहाकर औरतों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, जबकि विवाह के समय मेहर के मामले में उसे पूरी स्वतंत्रता है कि वह अपना मेहर तय करे उसे पति से वसूल करें या माफ कर दे।

मुसलमान इस बात पर बहुत गर्व करते है कि उन्हें चार शादियाँ करने का अधिकार प्राप्त है।

मुसलमानों का यह कथित अधिकार मुस्लिम स्त्री के लिये त्रासदी बन गया है नियम पुरूष की भोग्या के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वैसे आमतौर से हजार में से एकाध मुसलमान ही ऐसा करता हैं मगर इस अधिकार की समाप्ति को मुस्लिम पुरूष अपनी पहचान समाप्त होने से जोड़ता है।

इस्लाम के आरम्भकाल में उसके विरोधियों की संख्या बहुत थी। विरोधियों को परास्त करने के लिये उस समय बद्र, उहुद, खंदक, रखैबर, मक्का, तबूक आदि स्थानों पर अनेक युद्ध लड़ने पड़े थे। युद्धों में पुरूषों की जान अधिक जाती थी। अतः इन युद्धों में भी अनेक स्त्रियां विधवा एवं बेसहारा हो गयी थी तथा समायोजन की विकट समस्या आ गई थी इस विशेष परिस्थिति मे मुसलमानों को विशेष सुविधा दी गयी कि वे चार शादियाँ कर सकते है, तथा चार पत्नियाँ रख सकते हैं।

नासिरा शर्मा की 'दूसरा कबूतर' इसी प्रकार की कहानी है। इसमें एक पत्नी के होते हुए भी पति दूसरा विवाह करता है, तथा दोनों पत्नियों को इस बात से बेखबर रखता है।

''सादियां का विवाह सऊदी अरब में रह रहे बरकत से होता है, तथा विवाह के कुछ समय बाद ही उसे मालूम होता है कि उसकी एक पत्नी और है, रूकइया जिसके तीन बच्चे भी हैं।

रूकइया को भी जब सच्चाई का पता चलता है तब दोनो अपने पति से इस बात की शिकायत करती है तब उनका शौहर उनसे कहता है कि कानून के अनुसार तो उसे चार विवाह करने का अधिकार है, उसने तो दो ही विवाह किये हैं, इसके बाद दोनो औरतें हिम्मत से काम लेती है तथा दोनो ही उससे तलाक ले लेती है।

मुस्लिम समाज में पुरूष को तो चार शादियाँ करने का अधिकार मिला हुआ है परन्तु स्त्रियों को आज भी यह अधिकार नहीं मिला हुआ है, यदि किसी मुस्लिम स्त्री का पति मर जाता है तो यदि वह दूसरा विवाह करना चाहे तो भी समाज के डर के कारण नहीं कर पाती है, तथा उसे इस मामले में कोई आजादी नहीं दी गई है।

'बचाव' काहनी में 'बदली' एक ऐसी स्त्री है, जिसका पति दिमागी बुखार होने की वजह से मर गया है। बदली के दो बच्चे हैं तथा बदली के मकान पर उसके जेठों ने हक जमा लिया है और उसे धर से निकाल दिया है। बदली अपने घर वापस लौटकर आती है तथा जिस वकील ने बदली का केस लड़ा था उस वकील के बड़े भाई आरिफ

नासिरा शर्मा की कहानियोंमें मुस्लिम नारीकी स्थिति का चित्रण
*डॉ. शैलजा भट्ट
35.3

से बदली का दूसरा निकाह कर दिया जाता है, इस प्रकार बदली का जीवन फिर से सुधर जाता है।
नासिरा शर्मा ने इसमें यह बताने का प्रयाय किया है कि यदि पुरूषों को एक पत्नी के होते हुए भी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करने का अधिकार है तो स्त्री को भी विधवा होने के बाद कम से कम यह अधिकार मिलना चाहिए।

इन्होनें अपनी कहानियों में तलाक की समस्या को भी उठाया है। हाजरा का अपने पति अलताफ से विवाह के सत्ताइस वर्षों के बाद तलाक हुआ था, उसके पति ने बुढ़ापे में निकाह रचाया और जब हाजरा ने इसका विरोध किया तब उसके पति ने पहले तो उसे समझाया कि उसके व्यवहार में उसके प्रति कोई कमी नहीं आयेगी, परन्तु हाजरा को यह कबूल न था और उसने अपने पति से तलाक मांग लिया। ''तलाक चाहती हो तो लो ले लो तलाक.....तलाक.....तलाक..... । इतना कहकर अलताफ कमरे और लौट गया।

कहानी में यह बताने का प्रयास किया है कि मुस्लिम स्त्री किसी भी उम्र की दहलीज पर पहुँच जाये वह अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है, उसे हर समय यह भय लगा रहता कि कही उसका शौहर दूसरा निकाह न कर ले और उसे तलाक का सामना करना पड़े।

मुस्लिम समाज में स्त्रियों को दबाकर रखने के लिए पर्दे की अनिवार्यता कर रखी है तथा बुर्का पहनने पर जोर दिया जाता है। इस्लाम में पर्दा करने की व्यवस्था तो है, उसके कुछ ठोस कारण व परिस्थितियाँ है, जो कि आज एक कठोर बंधन बना दिया गया है।

इस बंधन से मुक्ति का उपाय सिर्फ मुसलमान स्त्रियों में जागृति लाना है, जहाँ यह जागृति आ रही है, मुस्लिम स्त्री पर्दे के बंधन से मुक्त हो रही है।

नासिराजी का कहना है कि मुस्लिम समाज की स्त्रियों को पर्दे–बुर्के में कैद रखा जाता है, उन्हें किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, शहरो ंमें तो फिर भी परिवर्तन आया है, किन्तु गाँवों में स्थिति वैसी ही बनी हुई है, जैसी पहले थी। गाँवों में मुस्लिम समाज की लड़कियों के मदरसों की कोई व्यवस्था नहीं है, छोटी उम्र में ही उनकी शादियाँ कर दी जाती है।

'दिलआरा' कहानी एक विधवा साजदा बेगम की है, जिनके शौहर का इन्तकाल होने के बाद वो इस संसार में एकदम अकेली रह गयी है, उनके कोई बाल–बच्चा नहीं है। साजदा बेगम मुस्लिम लड़कियों के लिये मदरसा खोल देती है तथा मुस्लिम कानून व इस्लाम में स्त्रियों को क्या–क्या अधिकार मिले हुए है बताती है लेकिन मौलवी साहब को ये सब पसन्द नहीं आता और वे कहते हैं कि साजदा बेगम लड़कियों केा उकसाती है, स्वयं के आगे पीछे तो कोई है नहीं लड़कियों को और विद्रोही बना रही है।

साजिदा बेगम मौलवी साहब को इस प्रकार जवाब देती है – ''आप जहीन और पढ़े–लिखे शख्स है दीन और मजहब के बारे में अपासी मालूमात का मैं क्या मुकाबला करूँगी। उस इल्म की चौखट की मैं अदन जूती हूँ।

फिर भी जुर्रत कर अर्ज कर रही हूँ कि लड़कियों के दिमाग को रोशन करना और सही राह दिखना। मैं कर रही हूँ यह कोई बगावत या औरत की आजादी का पस्वम नहीं है बलिक मिली हुई आजादी पर जो गर्व व गुब्बार पड़ गया है, उसकी धूल झाड़ रही हूँ बात मुख्तसर यह है कि शर्म आँखों में होती है, उसी तरह जैसे ईमान की खुशबु दिल मे होती है।

स्पष्टया मुस्लिम स्त्रियों की दीन–हीन दशा के लिए इस्लाम नहीं वरन् इस्लाम की वे गलत व्याख्याएँ जिम्मेदार हैं, जो इस पुरूष–प्रधान समाज में धर्माधिकारियों ने अपने भावी पुरूषों के स्वार्थ के लिए की है।

''आज नारी ने जिस स्थिति को प्राप्त किया है, उसके पीछे शिक्षा ही प्रेरक तत्व है, शिक्षा स्त्रियों को आत्मविश्वास से युक्त, आर्थिक स्वालम्बन की क्षमता और परम्परागत स्थिति को परिवर्तित करने में योग देती है।

शिक्षा के कारण ही नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई है, उसने अपने आपकों जाना है।

नासिरा शर्मा ने अपने कहानियो ंमें नारी की शिक्षा पर जोर दिया है, इनका कहना है ''आज समाज के अधिकतर वर्गों की नारियाँ शिक्षा की और प्रेरित है, परन्तु मुस्लिम समाज में गाँवो की महिलायें अभी भी उच्च शिक्षा से वंचित है। उन्हें शिक्षा के अच्छे साधन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण वे अभी भी अपने शौहर व मौलवियों पर निर्भर है।''

नासिराजी ने 'दहलीज' कहानी के माध्यम से इस समस्या को दर्शाया है। यह तीन बहनो ंकी कहानी है, इस कहानी में घरवाले इन तीनों लड़कियों को पढ़ाते लिखते तो है, परन्तु नौकरी करने के खिलाफ है तथा उनका विवाह कर देना ही उनका उद्देश्य है।

''यह काफी पढ़ चुकी है, और कितना पढ़ेगी.....? जानती हो दादी, बी.ए. की पढ़ाई के लिए बस में धक्के खाते कितनी दूर जाना पड़ता है ? जूते पर पालिश करता जावेद बोला।

इस कहानी में शिक्षा बीच में ही रोक देने के कारण और जबदस्ती विवाह करने की वजह से शाहीन आत्महत्या कर लेती है।

इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने यह दर्शाया है कि आज की नारी कितनी ही शिक्षित क्यों न हो जाये, परन्तु गलत बात का विद्रोह करने की शक्ति आज भी उसमें नहीं है।

नारी की स्थिति में परिवर्तन तो बहुत आया है, परन्तु आज भी गाँवों की मुस्लिम नारी को पर्दे की चारदीवारी में कैद रखा जाता है, उनकी शिक्षा हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

'चार बहिने शीशमहल' की कहानी में लड़कियों की शिक्षा पर जोर न देकर उनके निकाह पर जोर दिया जाता है। लड़कियों को ज्यादा बाहर अपने–जाने की इजाजत नहीं है तथा उन्हें हर बात में यह अहसास दिलाया जाता है कि वे लड़कियाँ है, उन्हें घर गृहस्थी का कम सीखना चाहिए न कि पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।

निष्कर्षतया हम कह सकते है कि मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है, जहाँ स्त्री आज भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाती है, मुस्लिम वर्ग में बहुत कम परिवार ऐसे होगें जहाँ स्त्री की शिक्षा व स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है।

मुस्लिम स्त्रियों को सिद्धान्त रूप से तो सम्पत्ति में अधिकार, मेहर, तलाक आदि अनेक अधिकार प्रदान किये गये हैं, परन्तु वास्तविक जीवन और व्यवहार में देखा जाये तो ये अनेक सामाजिक, पारिवारिक और वैवाहिक समस्याओं से पीड़ित है। इनकी समाजिक स्थिति और वैवाहिक समस्याओं से पीड़ित है। इनकी सामाजिक स्थिति पुरूषों की तुलना में बहुत नीची है।

सामाजिक आर्थिक स्तर पर केवल वे मुस्लिम स्त्रियाँ जो अपेक्षाकृत रूप से शिक्षित है और उच्च–मध्यम आय वर्ग के आभिजात्य वर्ग से संबंधित है तथा जीवन के आधुनिक मूल्यों के प्रति कुछ सीमा तक सजग है, ऐसे वर्ग की स्त्रियों की संख्या मुस्लिम समाज में नगण्य है।

'हिन्दी व्याख्याता
एस.एस.जैन सुबोध, पी.जी. कॉलेज
रामबाग सर्किल, जयपुर

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. *मधुरिमा, जुलाई, 1999*
2. *मधुरिमा, अगस्त, 1999*
3. *नासिरा शर्मा– खुदा की वापसी, पृ. 30–31, प्रकाशन वर्ष 1998*
4. *खुदा की वापसी – दूसरा कबूतर – पृ. 114–116*
5. *खुदा की वापसी – बचाव, पृ. 138–140*
6. *खुदा की वापसी– नयी हुकुमत, पृ.– 159–160*
7. *खुदा की वापसी–दिलआरा, पृ. 88*
8. *राजकिशोर– भारतीय मुस्लमान मिथक व यथार्थ, पृ. 106*
9. *खुदा की वापसी– दहलीज, पृ. 36–38*
10. *मोतीलाल गुप्ता : भारत में समाज, पृ. 321*

ASCENT INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS

(A Bi-lingual Multi disciplinary International Quarterly Journal)

GUIDELINES

ASCENT INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS(A Bi-lingual Multidisciplinary International Quarterly Journal) having Online **ISSN No 2455-5967** invites research papers, articles, abstracts of doctoral dissertations, major research project reports, case studies and book reviews from academicians and professionals.The following are the guidelines applicable to contributions.

1. The cover page should include title, abstract, keywords, author(s) and affiliation(s), email address (es). Please indicate the corresponding author. It should contain an abstract of not more than 150 words, along with 5 key words. The paper should not more than 08 pages.
2. The main text should not contain name of the author. References should be given at the end of the manuscript and should contain only those cited in the text of the manuscript.
3. Reference should be given on following pattern:

(a) For books:

Miller Philip, Kevin Lane Keller, Abraham Koshy, MithileshwarJha (2012), *Sales Management*, 13th Edition, Pearson Education.: Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd., New Delhi, pp-201-205.

(b) For journal articles:

Tulsian, Niraj and Philip Parker (2001), Marketing : Consumers' Use of Brand Name, Price and Physical Appearance, and Retailer Reputation as Signals of Product Quality, *Journal of Marketing*, Vol. 85 (August): p 29.

4. Figures and tables should be numbered consecutively and should appear soon after the text where they are first cited. The figures should be accommodated with in two thirds of A-4 size paper. All the figures and tables must be captioned.
5. The text should be in double space, in **12 points font size, leaving 1.5 inch margins on all sides, on A-4 size paper**.
6. Authors using questionnaires for collection of data for preparing the paper should send a copy of questionnaire, along with the manuscript.
7. The contributions received for publication shall be referred for review to experts on the subject.

AIJRA Vol.I Issue I www. ijcms2015.co ISSN 2455-5967

8. Correspondence and proofs for correction, if required, will be sent to the first named author unless otherwise indicated.
9. Authors submitting a revised manuscript need to outline separately the response to the reviewers' comments including changes introduced to the manuscript.
10. **Articles must be original and hitherto unpublished.**
11. The final decision on the acceptance or otherwise of the paper rests with the Editors, and it depends entirely on the standard and relevance of the paper.
12. The final draft may be subjected to editorial amendment to suit the Journal's requirements.
13. The copy right of the articles and other material, published in the Journal, shall lie with the publisher.
14. In the case of website, please do not forget to mention the date of accessing.
15. Electronic submissions should be sent to **ijcms2015@gmail.com** Hard copies are accepted, but there must be three printed copies along with the soft copy saved on a CDROM.
16. The research paper shall be published subject to recommendation of referees. The review process may take up to two months. The Editor relies upon the evaluation reports provided by the reviewers, the originality and relevance of the ideas addressed in the article and the possible contribution to the journal in deciding whether to accept the manuscript for publication.
17. The author's shall be informed about the selection of the article/paper by e-mail only.

ASCENT INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS